

08/05/25 पत्रावली पेशा इन्टर वकील प्रवर्गिण (उपरो) पत्रावली वास्ते  
कसम प्र.पज दिनांक 13/5/25 को पेश है।

13/05/25 पत्रावली पेशा इन्टर वकील प्रवर्गिण की बहस हुई।  
वकील प्रवर्गिण की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
दस्तावेजों से साधारण पर अस्वाप्ती निवेदना के तीनों  
विन्दु प्रथम इक्षमा कम्मला, सुविधा का सन्तुलन  
अप्रतियुक्त प्रवर्गिण के पक्ष में सिद्ध होते हैं।  
अतः प्रवर्गिण का प्र.पज क्रमशः चारा 202 R.T.  
आए का स्वीकार किये जाने योग्य होने की कारण  
स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्वाप्ती  
निवेदना दिनांक 14/01/25 को मूल वाद के निस्तार  
तक रूक रूक किया जाता है। पत्रावली के मूल शुभकार  
केन्द्र इस तथ्य से कहें हैं, वाद तकनीक दायित्व  
दफतर है।

13/05/25  
(सुखायाम पिण्डल)  
सहायक वक्ता  
बाप (वादी)